राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **80 / 2022**

GCMS No.**2022/127**

1. ओमप्रकाश
2. गोपाल
3. लीलाधर

} पुत्रान फूलचन्द

जाति खाती निवासी मानोता कलां, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........वादीगण

ब–ना–म

1. जुगलाल पुत्र गुरूदयाल
2. मुरारीलाल पुत्र गुरूदयाल
3. स्योबाई पत्नी स्व. रोहताश
4. रमेश जांगिड़ पुत्र स्व. रोहताश
5. सुरेश कुमार पुत्र स्व. रोहताश
6. सुनिता देवी पत्नी विजय कुमार जांगिड़
7. कोमल
8. कनम
9. हर्षिता
10. लक्ष्य

} पुत्री / पुत्र स्व. विजय कुमार जांगिड़

11. प्रताप सिंह पुत्र गणेश

समस्त जाति खाती निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

12. मन्जू पुत्री गणेश पत्नी रामोतार जाति खाती निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) हाल आबाद ग्राम मोई टीबा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)
13. लाली पुत्री गणेश पत्नी भागीरथ जाति खाती निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) हाल आबाद ग्राम मोई टीबा, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
14. विमला पुत्री गणेश पत्नी अशोक जांगिड़ जाति खाती निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.) हाल आबाद ग्राम पालवास तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं, राज0
15. विशम्भर पुत्र गणेश जाति खाती निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

16. सन्तोष पुत्री गणेश पत्नी रोहिताश जाति खाती निवासी मानोता कलां हाल आबाद मोई टीबा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
17. सुभाषचन्द पुत्र गणेश
18. बजरंगलाल पुत्र चुन्नीलाल
19. मणी पत्नी चुन्नीलाल
20. विष्णुदत्त पुत्र चुन्नीलाल
21. हरद्वारीलाल पुत्र चुन्नीलाल
    समस्त जाति खाती निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
22. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

.... प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री गिरधारी लाल सैनी :– वादीगण की ओर से
1. श्री ख्यालीराम सैनी :– प्रतिवादीगण की ओर से

–:निर्णय :– दिनांक 04/12/25

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–05–2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम मानोता कलां** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि **हाल खाता संख्या नया 109** में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 कुल किता 13 कुल रकबा 3.74 है. में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/10–1/10 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 3 लगायत 7 व 10 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 11 लगायत 17 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 18 लगायत 21 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से का अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.20[illegible] के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/2684 दिनांक 05.08.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05–08–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 21 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 21 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 21 के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

उनवान

ओमप्रकाश आदि

ब–ना–म

जुगलाल आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **80 / 2022** **GCMS No. 2022/127**

निर्णय दिनांक :– 04/12/25

वादीगण की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री ख्यालीराम सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/12/25 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 21 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05–08–2024 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 21 के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05–08–2024 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.01 16:14:23 IST
Reason: SelfAttested